

**CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LTD**  
**DANGANIYA : RAIPUR**

TENDER SPECIFICATION NO. 03-02/SLDC/LT- 109/

DATE OF OPENING – 17.08.2017 AT 15.30 HRS.


*Tender Document Cost 200/- each*

Tender for hiring of Tata Indica, Ambassdor, Maruti Zen, Wagon R, Santro or  
EQUIVALENT (A.C.) for one year

**Issued to**

M/s -----  
-----  
-----  
-----  
-----

Encl : Documents 05 pages

  
**Executive Engineer (SLDC)**  
**O/o Chief Engineer (SLDC)**  
**CSPTCL, RAIPUR**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेक्षण कंपनी लिमिटेड, रायपुर को एक नग ए.सी. टाटा इंडिका एमबेसडर, मारुती जेन,वेगन आर,सेन्ट्रो/ समकक्ष वाहन की एक वर्ष के लिये आव यकता है । इच्छुक वाहन मालिकों एवं ट्रेवलिंग एजेंसी से बिन्दुवार मुहरबंद भावपत्र केवल परिशिष्ट-तीन के साथ में दिनांक 17.08.2017 तक आमंत्रित किये जाते है। सामान्य भाते परिशिष्ट-दो में उल्लेखित है ।

**नियम एवं शर्ते :-**

1. निविदा दस्तावेज दिनांक 16.08.2017 तक संध्या 4.00 बजे तक कार्यालयीन दिवसों में विक्रय हेतु उपलब्ध रहेंगे एवं अगले कार्य दिवस अर्थात् दिनांक 17.08.2017 को सायं 3.30 बजे अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में खोले जायेंगे । निविदा खुलने के समय निविदाकर्ता स्वयं अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते हैं ।
2. वाहन का उपयोग राज्य भार प्रेशण केन्द्र द्वारा रायपुर भाहर अथवा छत्तीसगढ़ राज्य में कहीं पर भी किया जावेगा । वाहन का उपयोग वाहन लगाने की तिथि अथवा अनुबंध की तिथि, से एक वर्ष के लिये किया जावेगा। अनुबंध की अवधि को बढ़ाया अथवा घटाया जा सकता है। अतः वाहन चालन की दर 1000 कि.मी. के लिए, एवं उसके कम/अधिक चलाने की दर अलग-अलग दर्शायी जावे।
3. कंपनी के हित मे किसी भी कोटेशन को या सभी कोटेशन को पूर्णतः या अंशतः स्वीकार करने अथवा अस्वीकार करने का अधिकार कंपनी के पास सुरक्षित है, चाहे वह न्यूनतम दर हो अथवा न हो । उक्त हेतु कारण बताना कंपनी के लिये आवश्यक नहीं होगा ।
4. वाहन किराये पर लिये जाने की दरें एवं वाहन का प्रकार, मेक, माडल, रजिस्ट्रेशन क्रमांक, वाहन का किराया प्रतिमाह 1000 कि.मी. तक तथा 1000 कि.मी. से अधिक एवं 1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर निर्धारित परिशिष्ट –तीन में ही भरें ।
5. जिन वाहन मालिकों/ठेकेदारों द्वारा नवीन वाहन खरीदकर किराये हेतु कंपनी में लगाना है वह कृपया **परिशिष्ट-तीन** मे नवीन वाहन खरीदना स्पष्टतः दर्शायें तथा इस कार्यालय में किराये हेतु प्रस्तुत कोटेशन के साथ कंपनी के अधिकृत विक्रेता द्वारा खरीदने का साक्ष्य संलग्न करें। वाहन स्वामी रजिस्ट्रेशन (टेक्सी कोटा मे) एवं इन्शोरेंस की फोटोकापी अपने कोटेशन के साथ नस्ती करें ।
- 6.(अ) कोटेशन के साथ वाहन के लिए अमानत राशि (EMD)के रूप में 3000 /-(तीन हजार) मात्र का मांग-पत्र अथवा पे-आर्डर जो कि **Manager (RAO-HQ), CSPTCL, RAIPUR** के पक्ष मे देय हो, पृथक से लिफाफे में संलग्न करना आवश्यक है। अमानत राशि(EMD) के अभाव में कोटेशन पर विचार किया जाना संभव नहीं होगा ।
- (ब) निविदा दस्तावेजों के प्रत्येक पृष्ठ पर निविदाकर्ता अपने हस्ताक्षर कर एक अन्य लिफाफे में परिशिष्ट तीन के साथ विधिवत भरकर अमानत राशि (EMD) तथा दस्तावेजों के पृथक-पृथक लिफाफे को एक तीसरे लिफाफे में जिसके उपरी भाग पर निविदा क्रमांक एवं निविदा खुलने की तिथि का स्पष्ट उल्लेख हो, अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में नियत तिथि अर्थात् 17-08-2017 सायं 3.00 बजे तक जमा कर सकते है ।
- (स) कोटेशन खोलने के उपरांत न्यूनतम दर प्रदाता वाहन मालिक को 07 दिवस के भीतर वाहन को निरीक्षण हेतु इस कार्यालय में प्रस्तुत करना होगा । निरीक्षणोपरांत स्थिति संतोशजनक पाये जाने पर इस कार्यालय द्वारा आदेश प्रसारित किया जावेगा । वाहन मालिक/ठेकेदार को किराये हेतु कंपनी से अनुबंध करने अथवा गाड़ी लगाने से पूर्व सालाना देय राशि का या आदेशित राशि का 10 प्रतिशत राशि नगद या डीडी/बैंकर्स चेक सुरक्षा निधि के रूप में (जिस पर ब्याज देय नहीं होगा) कंपनी के खाते में जमा करना होगा जो अनुबंध अवधि पूर्ण होने के उपरांत समायोजन कर वापसी के योग्य होगी । अनुबंध करने के दौरान वाहन मालिक एवं ठेकेदार द्वारा टेक्सी कोटा के रजिस्ट्रेशन एवं इन्शोरेंस की मूलप्रति का इस कार्यालय में अवलोकन कराने हेतु छायाप्रति अनुबंध के साथ नस्ती करें। सुरक्षा निधि वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा आवेदन करने पर पहले तीन बिलो से समान किस्तो में भी काटी जा सकती है।

(द) वाहन मालिक/ठेकेदार द्वारा प्रस्तुत कोटेशन पर अपना सही पता टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर स्पष्ट लिखें ताकि कंपनी द्वारा आपसे पत्राचार किया जा सके। गलत अथवा अपूर्ण पता होने के कारण भेजे गये पत्र एवं सूचना न मिलने पर कंपनी उत्तरदायी नहीं रहेगा ।

7. वाहन किराये पर लेने संबंधी अन्य सामान्य शर्तें परिशिष्ट –दो में संलग्न है।
8. आदेशित कार्यावधि के दौरान ईंधन के मूल्य में कमी/बढ़ौतरी होने की स्थिति में दर को भी पुनरीक्षित किया जा सकेगा, जिसका सर्वाधिकार कंपनी के पास सुरक्षित होगा।
9. कंपनी को यह अधिकार होगा किसी भी परिस्थिति में निविदा खोलने संबंधी कार्यवाही आवश्यकतानुसार रद्द (निरस्त) की जा सकती है एवं कंपनी द्वारा इस पर पुनः कार्यवाही की जा सकती है ।
10. संचार व्यवस्था में अपरिहार्य कारणों से हुए विलंब का कंपनी उत्तरदायी नहीं होगा ।
11. वाहन चालक द्वारा कार्य पर अनुपस्थित रहने की दशा में प्रतिदिन 300/- की कटौती बिल में से की जावेगी व कंपनी इस बात के लिये स्वतंत्र रहेगा कि वह वाहन किसी सक्षम वाहन चालक जिसके पास वैध ड्राईविंग लायसेंस हो, से वाहन चलवा सके ।
12. निविदाकर्ता के लिये यह आवश्यक होगा कि वह निविदा के समस्त पृष्ठों पर हस्ताक्षर (सील सहित) कर निविदा के साथ इस कार्यालय से जारी मूल प्रपत्र में ही भरकर जमा करें ।
13. वाहन स्वयं निविदाकर्ता का नहीं होने की स्थिति में वास्तविक वाहन मालिक द्वारा "पावर आफ अटार्नी" द्वारा वाहन चलाने हेतु अधिकृत किया जाना अनिवार्य है अन्यथा वाहन सेवा में नहीं लिया जावेगा एवं निविदा रद्द कर दी जावेगी तथा जमा की गई सुरक्षा निधि राजसात कर ली जायेगी।
14. अनुबंधित वाहन को एक माह की सूचना पश्चात अनुबंध समाप्त करने हेतु कंपनी एवं वाहन मालिक पूर्णरूपेण सक्षम है, जिसके लिये किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति देय नहीं होगा।
15. सभी अन्य लगने वाले कर दरों में शामिल होंगे तथा अलग से कोई भुगतान देय नहीं होगा साथ ही इसमें परिवर्तन के लिये कोई अतिरिक्त व्यय देय नहीं होगा। GST को अलग से दर्शित करें। सेवा कर का भासन के नियमानुसार पालन किया जायेगा ।
16. नियमानुसार सभी देयकों से आयकर की कटौती 2.00 प्रतिशत की दर से की जायेगी, जिसे वित्तीय वर्षान्त पश्चात अनुरोध पत्र प्रस्तुत कर उपरोक्त कटौती का टी.डी.एस. प्रपत्र संबंधित वित्त विभाग से प्राप्त किया जा सकता है।
17. वाहन छत्तीसगढ़ राज्य के किसी भी परिवहन विभाग में पंजीकृत होना अनिवार्य है।

भवदीय,


AS

अति मुख्य अभियंता (भार प्रेषण )  
कार्या. कार्यपालक निदेशक (भार प्रेषण )  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर

## सामान्य शर्तें

- (1) वाहन तीन वर्ष से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए।
- (2) वाहन का भासकीय कर एवं बीमा पालिसी इत्यादि का भुगतान पूर्ण होना चाहिए। वाहन की बीमा पालिसी में पैसेन्जर का इन्श्योरेंस होना आवश्यक है एवं वाहन का पंजीयन तथा बीमा के अद्यतन दस्तावेज की छायाप्रति भावपत्र के साथ संलग्न होना अनिवार्य है।
- (3) वाहन की दरें चालक, पेट्रोल, आयल एवं अन्य व्ययों सहित दी जानी चाहिए।
- (4) वाहन किराये पर लेने के पश्चात वाहन या वाहन चालक के साथ किसी प्रकार की दुर्घटना या क्षति के लिये कंपनी जिम्मेदार नहीं होगा। वाहन मरम्मत की संपूर्ण भार, वाहन मालिक को वहन करना होगा। जिसके लिये कोई क्षतिपूर्ति कंपनी द्वारा देय नहीं होगी।
- (5) वाहन के विस्तृत परीक्षण के उपरान्त संतुष्ट होने के पश्चात ही अनुबंधित किया जावेगा।
- (6) किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक समय तक व्यवधान नहीं होना चाहिए। वाहन को 24 घंटे से अधिक खराब रहने की स्थिति में वाहन मालिक को दूसरे समकक्ष वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी।
- (7) वाहन दुर्घटना की स्थिति में भी समकक्ष वैकल्पिक वाहन की व्यवस्था करनी होगी अन्यथा वाहन अनुपलब्ध माना जायेगा एवं अनुपलब्धता के नियमानुसार कटौती की जायेगी।
- (8) वाहन की वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होने पर एवं किसी भी माह में वाहन के उपयोग में कुल 24 घंटे से अधिक व्यवधान की स्थिति में वाहन के मासिक देयक से अनुपस्थित अवधि के लिए स्वीकृत समानुपाती दर पर 50 प्रतिशत अतिरिक्त जुर्माना सहित कटौती की जाएगी।
- (9) वाहन 24 घंटे कंपनी की सेवा में ही रहेगा तथा नियंत्रक अधिकारी के आदेशानुसार पार्किंग में रहेगा।
- (10) कंपनी को यह अधिकार होगा कि आपात स्थिति में कंपनी के वाहन चालक से वाहन चलवा सके।
- (11) चालक की अनुपस्थिति में वाहन को अनुपलब्ध माना जावेगा तथा कण्डिका (8) के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- (12) वाहन के मुख्यालय से बाहर रहने की स्थिति में किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भत्ता देय नहीं होगा।
- (13) वाहन किराये का बिल का भुगतान, बिल जमा करने के 30 दिन के अन्दर सामान्यतः कर दिया जाता है। अपरिहार्य विलंब के लिए कंपनी उत्तरदायी नहीं होगा तथा कोई अतिरिक्त भुल्क मान्य नहीं होगा।
- (14) वाहन मालिक द्वारा वाहन चालक को पर्याप्त राशि ईंधन एवं आपात कार्य हेतु देय होगी। वाहन में समय पर ईंधन की उपलब्धता सुनिश्चित करने की संपूर्ण जिम्मेदारी वाहन मालिक की होगी।
- (15) वाहन किराये पर लेने हेतु अनुबंध पर लगने वाले टिकटों का मूल्य वाहन मालिक को वहन करना होगा।
- (16) रास्ते में पड़ने वाले टोल टेक्स/मॉल या अन्य स्थानों पर लगने वाले पार्किंग शुल्क का भुगतान कंपनी द्वारा भुगतान किया जायेगा।

- (17) कंपनी एवं वाहन मालिक दोनो को बिना कारण बताये न्यूनतम एक माह की नोटिस पर अनुबंध निरस्त करने का अधिकार होगा।
- (18) वाहन का चुनाव एवं निरस्तता के लिये कंपनी के पास सर्वाधिकार सुरक्षित रहेगा।
- (19) वाहन चालक के पास वैध ड्रायविंग लायसेंस होना चाहिए एवं वाहन चालक को मृदुभाषी तथा अच्छा व्यवहार/आचरण का होना चाहिए। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर वाहन मालिक को परिवहन चालक बदलकर अच्छे वाहन चालक को नियुक्त करना होगा। चालक के वैध लाइसेन्स की छायाप्रति इस कार्यालय में जमा करानी होगी।
- (20) प्रपत्र में भरी जाने वाली दरों में सभी करों को समाहित करें (सेवा कर छोड़कर)। इस मद में शासन द्वारा करों में परिवर्तन के लिये कंपनी किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं करेगा।
- (21) वाहन चालक को सामान्यतः प्रातः 10.00 बजे से सायं 6.00 बजे तक कर्तव्य निर्वहन करना होगा। आवश्यकता होने पर उक्त समय के अतिरिक्त नियंत्रक अधिकारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा।
- (22) किसी भी माह में वाहन सिर्फ एक दिवस रखरखाव हेतु दिया जावेगा, रखरखाव के लिए वाहन किस दिन दिया जाना है, इसका निर्णय नियंत्रक/अधिकृत अधिकारी द्वारा लिया जावेगा।
- (23) वाहन चालकों को ड्यूटी पर गणवेश (सफेद) में उपस्थित होना अनिवार्य है एवं वाहन चालकों के पास मोबाईल फोन भी उपलब्ध रहना चाहिए इस मद में होने वाले खर्च को वाहन मालिक प्रस्तुत दर में समाहित करेंगे। इस मद में कंपनी द्वारा किसी भी प्रकार का अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जावेगा।
- (24) वाहन मालिक के पास अनुबंध अवधि के दौरान संबंधित कार्यालय का वैध सेवाकर का पंजीयन होना आव यक है। उपरोक्त के अभाव में मासिक देयक पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।
- (25) वाहन केवल निर्धारित ईंधन पर चलाना स्वीकार किया जायेगा। वाहन का चालन अन्य किसी भी वैकल्पिक ईंधन पर स्वीकार नहीं किया जायेगा।
- (26) अनुबंधित अवधि के दौरान वाहन पर “ON C.S.P.T.C.L. DUTY” अंकित करवाया जाये एवं अनुबंधित अवधि उपरांत उक्त भाषों को हटाया जाना अनिवार्य होगा।

  
अति मुख्य अभियंता (भार प्रेषण)  
कार्या. कार्यपालक निदेशाक (भार प्रेषण)  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर

वाहन किराये पर दिये जाने हेतु दरें

निविदा क्रमांक : 03-02/SLDC/LT-109/

/रायपुर, दिनांक

| क्र | वाहन का विवरण   |             |      |                | वाहन का किराया                            |  |   |
|-----|---|-------------|------|----------------|---|--|---|
|     | वाहन का प्रकार  | वाहन का मेक | माडल | पंजीयन क्रमांक | 1000 कि.मी. चालन के लिए प्रतिमाह दर रूपये | 1000 कि.मी. से अधिक चालन के लिये दर रूपये प्रति किलोमीटर | 1000 कि.मी. से कम चलने पर कटौती की दर रूपये प्रति कि. मी. |
| 1   | 2   | 3           | 4    | 5              | 6   | 7  | 8   |
| 1   | 1 नग -<br>टाटा इंडिका<br>,एमबेसडर, मारुती<br>जेन,वेगन<br>आर,सेन्द्रो/ समकक्ष<br>(ए.सी. कार) |             |      |                |   |  |   |
| 2   |   |             |      |                |   |  |   |

निविदाकर्ता के हस्ताक्षर

नाम

पता  
कार्यालय -

निवास

फोन कार्यालय -

निवास -

मोबाईल -



CIN - U40108CT2003SGC015820

**CHHATTISGARH STATE POWER TRANSMISSION COMPANY LIMITED**

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेशन कम्पनी मर्यादित

(C.G. Govt. Undertaking) (छत्तीसगढ़ भासन का एक उपक्रम)

**CHHATTISGARH STATE LOAD DESPATCH CENTRE: RAIPUR**

छत्तीसगढ़ राज्य भार प्रेशन केन्द्र, रायपुर

दूरभाष PHONE : 0771- 2574172 ,

Web Site : [www.sldccg.com](http://www.sldccg.com)

फैक्स FAX NO. 0771-2574174.

email- [csebsldc@sldccg.com](mailto:csebsldc@sldccg.com)

क./03-02/SLDC/LT- 109/ 877

रायपुर, दिनांक 24 JUL 2017

प्रति,

मेसर्स As per.....

list enclosed.....


विशय:- एक वर्ष की अवधि के लिए ए.सी. कार ( टाटा इंडिका , एमबेसडर, मारुती जेन, वेगन आर, सेन्द्रो / समकक्ष ) किराये पर लेने हेतु अप्रकाशित निविदा ।

—000—

इस कार्यालय द्वारा कंपनी कार्य हेतु एक वर्ष के लिए ए.सी. कार ( टाटा इंडिका , एमबेसडर, मारुती जेन, वेगन आर, सेन्द्रो / समकक्ष ) मासिक किराया आधार पर अनुबंध करने के लिए सिमित निविदा जारी की गई है। निविदा प्रपत्र 200/- के निविदा भुल्क के भुगतान पर दिनांक 16.08.2017 सायं 4:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। जिसे पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 17.08.2017 को 3:00 बजे तक अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में जमा किया जा सकता है। निविदा दिनांक 17.08.2017 को सायं 3.30 बजे खोली जावेगी।

इच्छुक संस्था/ कंपनी उक्त भुल्क का भुगतान कर निविदा प्रपत्र अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से दिनांक 16.08.2017 सायं 4.00 बजे तक प्राप्त कर सकते हैं।


अतः सूचनार्थ प्रेषित।

  
कार्यपालन अभियंता (कार्या.)  
कार्या. मुख्य अभियंता (भार प्रेशन)  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर

1. M/s Bhagwat Prasad Sahu,  
Bajrang Chowk, Charoda,  
Dist.- Durg
2. M/s Ghanshyam Prasad Awasthi,  
Sheetla Chowk, Danganiya,  
Raipur
3. M/s Rekha Singh,  
Mughdha parisar, ward no.7  
Kurud road, kohka, Bhilai
- 4 M/s Ashish sharma,  
Qtr. No. LIG-117/118, Sector-2,  
D.D.U. Nagar, Raipur.
5. M/s Khelawan Sahu,  
Shanti Vihar Colony,  
Danganiya, Raipur.
6. M/s Savitri bai sahu,  
Adarsh nagar,  
Charoda, Dist- Durg.
7. M/s Adarsh Travels,  
Near Sheetla mandir , Bazar Chowk,  
Danganiya, Raipur.
8. M/s S.S.Travels,  
Harshit Vihar, Hirapur,  
Tatibandh, Raipur.
9. M/s Pramod chandrakar  
Chandrakar Chhatravas complex,  
Telibanda ,Raipur
10. M/s Jitendra Thakur,  
vikas vihar colony,  
Raipura, Raipur.

11. Notice Board

12. Company's/SLDC Website.

  
कार्यपालन अभियंता (कार्या.)  
कार्या. मुख्य अभियंता (भार प्रेशण)  
छ.रा.वि.पारे.कं.मर्या., रायपुर